

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्री नारायण सिंह जाट

बनाम

गोविन्द सिंह राजपूत वगै०

किस्म मुकदमाप्रा.पत्र

212 आर.टी.एक्ट.....न.

62 सन् 2017

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकमा जो इस
हुक्म की तामील
मे जारी हुए

16.05.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प मुकाम रूपाहेलीखुर्द में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम रूपाहेलीखुर्द पटवार हल्का रूपाहेलीखुर्द भू०अ०निरीक्षक बेंरा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खाता स० 154 के आराजी सख्यां 269, 270, 273, 274, 275, 276, 279, 280, कुल किता 08 कुल रकबा 13-11 बीघा आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 13 नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र बहस करनी चाहने से, बहस एकपक्षीय सुनी गई।

बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है जिसका विभाजन कराये जाने बाबत इस प्रार्थनापत्र के साथ श्रीमान के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। बिना सहमति से विभाजन कराये विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को रोड की तरफ अपना हिस्सा बता कर किसी अन्य को बैचान करने पर आमादा है। यदि भविष्य में विपक्षी संख्या 01 लगायत 13 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात भूमि का विक्रय, अन्तरण, हस्तान्तरण, रहन, बक्षीस आदि करते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षती होगी एवं वाद व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य ही नही रह जावेगा। अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षीगणो को रेकार्ड एवं मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पाबंद किये जाना फरमावे।

प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी सहखातेदारी आराजीयात का बिना विभाजन कराये अन्तरण कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थी के हक प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थी के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र इस प्रकार आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजीयात में सें ग्राम रूपाहेलीखुर्द पटवार हल्का रूपाहेलीखुर्द भू०अ०निरीक्षक बेंरा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खाता स० 154 के आराजी सख्यां 269, 270, 273, 274, 275, 276, 279, 280, कुल किता 08 कुल रकबा 13-11 बीघा में राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 13 को अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैशल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

उपखण्ड अधिकारी
बनेडा जिला भीलवाडा